न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.)

कम्प्यूटर आई.डी. 2020 / 00349
मुकदमा नम्बर 174 / 2020

दिनांक–10.09.2020

रतनलाल दत्तक पुत्र गोविन्दराम जाति जागिड़ ब्राह्मण निवासी ग्राम बाय तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड
:: निर्णय ::

दिनांक 05.10.2020

वादी द्वारा एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बाय की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 654, 655, 656 रकबा क्रमशः 0.26, 0.05, 0.37 कुल किता 03 कुल रकबा 0.68 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/15 है। ग्राम बाय की सरहद मे आराजी खसरा नम्बर 745, 760 रकबा क्रमशः 1.65, 0.98 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.63 हैक्टर स्थित है यह भूमि वादी के एकमात्र कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी में वादी का हक हिस्से व कब्जे काश्त बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। वादी का सही व वास्तविक नाम रतनलाल दत्तक पुत्र गोविन्दराम है, जो वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र आदि में दर्ज है एवं वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज वादग्रस्त आराजी के अलावा वादी के कब्जे काश्त व खतोदारी की अन्य भमि खसरा नम्बर 143, 1243/143, 1244/745 है, जिसके राजस्व अभिलेख में भी वादी का नाम रतनलाल दत्तक पुत्र गोविन्दराम सही दर्ज है। वादी के पिता के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण वादी से भरा गया। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक वाद पत्र की मद संख्या 1 दर्ज आराजी के रिकार्ड अभिलेख में वादी के नाम का सही सत्यापन किये बिना ही राजस्व अभिलेख में वादी का नाम रतन कुमार पुत्र गोविन्दराम गलत दर्ज कर दिया। स्व. गोविन्दराम के रतनकुमार नाम का कोई पुत्र पैदा नही हुआ है, स्व.गोविन्दराम के एकमात्र पुत्र वादी रतनलाल ही था। रतन कुमार व रतनलाल दोनो नामों का एक ही व्यक्ति वादी ही है।

वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज आराजी के राजस्व अभिलेख में वादी का गलत नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वादी के नाम का सही सत्यापन नही करने के कारण दर्ज हुआ है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज आराजी के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम रतनकुमार दर्ज होने से वादी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा वादी राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाता है। इसलिए वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज आराजी के राजस्व अभिलेख में रतनकुमार पुत्र गोविन्दराम के स्थान पर वादी रतनलाल पुत्र गोविन्दराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी का राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वाद श्रीमानजी के समक्ष पेश किया गया है। वादी को उक्त गलत राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वाद श्रीमानजी के समक्ष पेश किया गया है। वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी पूर्व में नही थी। वादी ने हल्का पटवारी से राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की तो वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी हुई जिसके तुरन्त पश्चात वादी की ओर से उक्त वाद पेश किया है। उक्त वाद के लिए वाद कारण वादी को गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा का क्षेत्राधिकार मे पैदा हुआ है। वादी की विषय वस्तु अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने से उक्त वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया है कि वाद बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि ग्राम बाय पटवार हल्काबाय तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू की सरहद आराजी खसरा नम्बर 65, 655, 656 रकबा क्रमशः 0.26, 0.05, 0.37 कुल किता 03 कुल रकबा 0.68 हैक्टर एव खसरा नम्बर 745, 760 रकबा क्रमशः 1.65, 0.98 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.63 हैक्टर मे रतनकुमार पुत्र गोविन्दराम के स्थान पर वादी रतनलाल पुत्र गोविन्दराम को खातेदार काश्तकार है। वर्णितानुसार राजस्व अभिलेख मे अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जावे।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से राज पेरोकार की ओर से तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा वाद पत्र में सहमति प्रदान करते हुये जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड चुनाव फोटो पहचान पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रतनकुमार पुत्र गोविन्दराम के स्थान रतनलाल पुत्र गोविन्दराम दर्ज किया जाता है तो भूमिधारी को काई ऐतराज नही है।

साक्ष्य वादी में वादी श्री रतनलाल पुत्र स्व0 श्री गोविन्दराम जाति जागिड निवासी ग्राम बाय तहसील नवलगढ द्वारा मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र में भी वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होना स्वीकार किया गया है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रतनकुमार पुत्र गोविन्दराम दर्ज किया हुआ है। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम सही नाम रतनलाल पुत्र स्व0 गोविन्दराम अंकित है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा अपने जवाब में वादी का नाम रतनलाल पुत्र स्व0 गोविन्दराम सही होना अंकित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब तहसीलदार नवलगढ वादी का नाम रतनलाल पुत्र स्व0 गोविनदराम सही होना साबित होता है। वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बाय की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 65, 655, 656 रकबा क्रमशः 0.26, 0.05, 0.37 कुल किता 03 कुल रकबा 0.68 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 745, 760 रकबा क्रमशः 1.65, 0.98 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.63 हैक्टर में वादी का नाम रतनकुमार पुत्र स्व0 गोविन्दराम के स्थान पर रतनलाल पुत्र गोविन्दराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
इन्द्राज सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़.

दावा बाबत घोषणार्थ रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 174/2020 (रतनलाल वनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **इन्द्राज सिंह** (आर. ए. एस.),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **05.10.2020** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बाय की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 65, 655, 656 रकबा क्रमशः 0.26, 0.05, 0.37 कुल किता 03 कुल रकबा 0.68 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 745, 760 रकबा क्रमशः 1.65, 0.98 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.63 हैक्टर मे वादी का नाम रतनकुमार पुत्र स्व0 गोविन्दराम के स्थान पर रतनलाल पुत्र गोविन्दराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन..........–.......... मुबलिग..........–..........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–...... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05 माह 10 सन 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Scanned by CamScanner